# प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन में 2016-21 की अवधि के लिए **"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आंकलन करती है और अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनके कल्याण, उत्थान और अधिकारिता के लिए उठाए गए कदमों की जांच करती है ।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।